



अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

कोल्हान टाईटल सुट संख्या- 3/2001-02

साव पुरती।

वनाम

हरिश बानरा एवं अन्य।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, और तारीख
	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>यह दीवानी वाद दिनांक 06.06.2001 को साव पुरती, पिता- स्व० उदय चन्द्र पुरती, ग्राम- बाईहातु, पो०- नरसण्डा, थाना- मुफसिल चाईबासा, जिला- पश्चिमी सिंहभूम द्वारा Schedule "A" में वर्णित भूमि Decree declaring पुराना सर्वे प्लॉट संख्या- 325 एवं 371, खाता संख्या- 81, कुल रकवा- 4.33 एकड़ भूमि के लिए प्रतिवादी हरिश बानरा, पिता- मुध बानरा, शंकर बानरा, आनन्द बानरा, पुरुषाम बानरा, प्रेम बानरा, पातर बानरा एवं कृष्णा बानरा एवं 4 अन्य, ग्राम- टोन्टो, पो०- घाघरी, थाना- मुफसिल चाईबासा, जिला- पश्चिमी सिंहभूम के विरुद्ध यह वाद दायर किया गया है। लम्बे समय से वादी या उनके अधिवक्ता की ओर से पैरवी नहीं की जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि वादी को इस वाद में कोई अभिरुची नहीं है।</p> <p>अतः उक्त के आलोक में इस वाद को खारीज किया जाता है एवं वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p> अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।</p> <p> अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा</p>	